06/01/17

के ख. न. 945 रकबा 0.012 किस्म चारागाह संवत 2071 में नाजायज कब्जा/काश्त कर लिया है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किया जावें। मिसल दिनांक 30/01/2017 बेमुकाम मेड़ता पेश हों।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

30/01/17

पत्रावली पेश। फैसलाप्त उपरोक्त।
फैसलाप्त की ओर से जवाब पेश किया गया।
फैसलाप्त की ओर से उपस्थित जवाब पर पटवारी हल्का
कड़वाड़ी की गवाही से स्पष्ट रिपोर्ट ली जावे।
मिसल दिनांक 15/2/17 को पेश हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

15/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी की रिपोर्ट अप्राप्त
मिसल दिनांक 16/2/17 को पेश हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

16/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त।
रिपोर्ट में प्रकरण में अंकित किया है कि पटवारी हल्का
कड़वाड़ी की गवाही व मौका निरीक्षण दरोगवा से
तथापि रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मुद्दायी फुलाराम
पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी किशोरों की ढाणी मौजा
किशोरों की ढाणी के ख.न. 945 रकबा 0.012 हैक्टे. किस्म

नायब तहसीलदार
मेड़ता

16/2/17 अनु.शाखा की सूचि पर संख्या 2073 से आये डाक्य
से लेख किया गया

इस पर अधार्थी के विरुद्ध धारा 9 UP Act
के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी
किया गया नोटिस की तामिल हुई। अधार्थी उपस्थित
जाकर पेश कर बयान किये उसने आये डाक्य का
लिया है इस पर पटवारी हल्का से पुन: रिपोर्ट ली
गई जिसके अनुसार आवेदनी का प्रतिवाद आपत्ति
पर आधार है अत: अधार्थी को अतिक्रमित भाग
से बेदखली आदेश किया जाता है तहसील को
बाजार दर 6 रुपये प्रति वर्ग से 0.01 हैक्टर का 0.06 गुणे
का 50 गुणा जो कि 3 गुणे से कम है छह महीना जमा
किया जाता है तहसील को मौलिक रूप से जुर्माने वसूल
करने एवं जुर्माना वसूली एवं मांग आवधी हेतु
पटवारी हल्का नाड़ाखाड़ी को उनके व TRA को
लिखापढ़ी पश्चात्ती कार्य पालन के हेतु
सुपुर्द होकर नस्ती से किया जो

लिखित मेरे इजलास सुनाया गया

नायब तहसीलदार
मेड़ता

2016-17 वर्ष 3
ले. 4 केप् पृष्ठ सं. 25 पर दर्ज की

तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता